


अनुपम

27/6/16 पंचायत राज (व) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत सापल उपखण्ड जिले में प्रथम प्रत्युत्तर के अन्तर्गत करण कि इस प्रकार प्रथम द्वारा विशेषता के चलाया नहीं चाहिये। अतः सापल की प्रार्थना पर प्रथम T I के स्वार्थ कि जाता है पञ्जाब की फैसल मुद्दा एक (नम्बर) के अन्तर्गत जाकर नाड तकनीक दारिद्र्य रूप की जाये। अतः सापल की निस्तारण कि जाये।
युक्त है।


उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन सिटी, जिला करौली